संख्या-3205/69-1-2001-4(L)/2001TC

प्रेषक,

अजय प्रकाश वर्मा
मुख्य सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/
उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/
मुख्य नगर अधिकारी, उ0प्र0।

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

लखनऊः दिनाँक-13 अगस्त, 2001

विषय :**शुष्क शौचालयों एवं शौचालय रहित आवासों का सर्वेक्षण**

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को जड़ से समाप्त करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस हेतु केन्द्रीय अधिनियम सफाई कर्मचारी नियोजन और शष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को प्रदेश शासन द्वारा अंगीकार कर लिया गया है। सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समूल विनाश करने के लिये सर्वप्रथम प्रदेश के समस्त शहरों एवं नगर पालिका, टाऊन एरिया एवं नोटिफाइड एरिया तथा इन से लगे समस्त गांवों में स्थित शुष्क शौचालयों और शौचालयों रहित घरों का सर्वेक्षण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि नियोजित अभियान के अन्तर्गत ऐसे शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किय जा सके। भारत सरकार व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी इस सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये है।

2. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में 16 अगस्त 2001 से 15 सितम्बर के मध्य एक विशेष अभियान चलाकर शुष्क शौचालय व शुष्क शौचालय रहित आवासों तथा उक्त कार्य में लगे स्वच्छकारों का सर्वेक्षण किया जाये। सर्वेक्षण से सम्बन्धित संकलित करने के सम्बन्ध में प्रोफार्मा संलग्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निर्धारित सारिणी निम्नवत है:-

1-	खण्ड/मोहल्ला/वार्डवार सर्वेक्षण	16 अगस्त से 30 अगस्त, 2001
2-	खण्ड/तहसील/नगरवार सूचनाओं का संकलन	31 अगस्त से 05 सितम्बर, 2001
3-	जनपद स्तर पर सूचनाओं का संकलन।	06 सितम्बर से 11 सितम्बर, 2001
4-	जनपदवार संकलित सूचनाओं को सूडा मुख्यालय में प्राप्ति।	12 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2001

3. शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य नगरपालिका/नगर पंचायत/नगर निगम के कर्मचारियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण खण्ड विकास अधिकारी/राजस्व विभाग के कर्मचारी अथवा जिलाधिकारी जिसे सक्षम समझे, के माध्यम से कराया जायेगा। प्रश्नगत सर्वेक्ष्उण को समयान्तर्गत पूरा कर जनपद स्तर पर संकलित रिपोर्ट तैयार करने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) का, तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी तथा ब्लाक

स्तर पर खण्ड विकास अभिकरण (डूडा) का, तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी तथा ब्लाक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी का नगरीय क्षेत्रों में मुख्य नगर अधिकारी, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी का होगा। यह भी स्पष्ट करना है कि शहरी सीमा के अन्दर आने वाले गांवों का सर्वेक्षण नगर विकास विभाग से सम्बन्धित स्थानीय निकाय से कराया जाये। सर्वेक्षण के सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी अपने क्षेत्र के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कराके उपर्युक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विवरण/सूचना जिला नगरीय विकास अभिकरण के नामित परियोजना निदेशक के माध्यम से जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण को उपलब्ध करायेंगे। जिलाधिकारी द्वारा सूचना संकलित कर निदेशक, सूडा/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. मण्डल स्तर पर उक्त कार्य की समीक्षा मण्डलायुक्त द्वारा करके यह सुनिश्चित किया जाना है कि सूचना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शासन/सूडा को उपलब्ध हो जाये।

5. सर्वेक्षण में होने वाले स्टेशनरी इत्यादि का व्यय डूडा में उपलब्ध सामुदायिक सहायता मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

6. उक्त सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि कृपया सन्दर्भगत सर्वेक्षण किये जाने के पूर्व उक्त निर्धारित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय स्तर पर कराया जाये ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी हो सके और से सर्वेक्षण के समय उपस्थित होकर उक्त पुनीत कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दे सकें।

अत: अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशानुसार सर्वेक्षण कार्य एक अभियान के रूप में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराकर सूचना शासन/सूडा को समय से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवनिष्ठ,
(अजय प्रकाश वर्मा)
मुख्य सचिव

संख्या : (1)/69-1-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
2- प्रमुख सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, यू0पी0ए0 डिवीजन, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
8- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- आयुक्त, आवास, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ।
10- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
11- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
12- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
13- निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
(एस. आर. लाखा)
सचिव